प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1- जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2023
प्र.ई.रि.सं. 42/2023 दिनांक 17/2/2023

2.–(1). अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा 7,
(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा.....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 312 समय 5:00 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिनः गुरूवार दिनांक 16/02/2023, समय 06.11 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – सोमवार दिनांक 13/02/2023, समय 02.00 पी.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः उत्तर–पश्चिम दूरी करीब 60 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें
(ब) पताः– **दिल्ली– जयपुर हाईवे रोड, स्टार बुकस कॉफी एटाटा एलाइन्स के पास बहरोड, जिला अलवर।**
बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री नीरज कुमार (ब) पिता का नाम :– श्री ओम प्रकाश
(स) जन्म तिथि :– उम्र 33 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह
(र)व्यवसायः–
(ल)पताः– निवासी बहोतवास भोंदू, पुलिस थाना जाटूसाना, तहसील कौसली, जिला रेवाडी (हरियाणा)

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री धनसिंह पुत्र स्व. श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, उम्र 53 साल, निवासी चन्दपुरा, तहसील एवं थाना कोटकासीम, जिला अलवर हाल हैड कानि. 27 पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी (अलवर, राज.)

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 25,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2023 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री नीरज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, जाति ब्राहम्ण, निवासी बहोतवास भोंदू, पुलिस थाना जाटूसाना, तहसील कौसली, जिला रेवाडी (हरियाणा) पर उपस्थित होकर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरा अलवर विषयः– पुलिस थाना बहरोड के रिश्वत खोर हैड कानिस्टेबल श्री धनसिंह नं. 27 को रिश्वत लेते हुए को पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै श्री नीरज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश,निवासी बहोतवास भोंदू, जाटूसाना, रेवाडी 123401 का रहने वाला हूँ। मैंने दिनांक 7.9.2022 को आर्य समाज मन्दिर ट्रस्ट 74 खन्ना मार्केट, तीस हजारी दिल्ली से सुशीला पुत्री श्री रामनिवास निवासी शेरपुर, बहरोड से आपसी रजामंदी से शादी की थी। दिनांक 29.1.23 को मे मेरी पत्नी को लेने मेरे ससुराल गया था। तो मेरे ससुराल वालों ने मेरी पत्नी को कही बाहर भेज दिया और मुझे पुलिस बुलाकर बहरोड थाने में बन्द करवा दिया। तथा मेरे ससुर रामनिवास यादव ने मेरे खिलाफ बहरोड थाने में मुकदमा नं. 72/2023 धारा 323, 341, 451, 354 का दर्द करवा दिया। जिसकी तफ्तीश बहरोड थाने का हैड कानि0 श्री धन सिंह कर रहा है। धनसिंह हैड कानि0 ने मेरी बाईक नं0 HR-43-C-0602 को थाने में रख लिया तथा उक्त हैड कानि0 मेरी बाईक छोडने व मुकदमें को रफा दफा करने की एवज में 50,000/– रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री धन सिंह हैड कानि0 27 पुलिस थाना बहरोड को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा आपके विभाग से रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहता हूँ। कृप्या कानूनी कार्यवाही करने की कृप्या करे। – हस्ताक्षर – श्री नीरज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, जाति ब्राहम्ण, उम्र 33 साल गाँव– बहोतवास भोंदू, डाकघर– जाटूसाना, तहसील कोसली, जिला रेवाडी 123401 (हरियाणा) दिनांक 13/2/23

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 13.02.2023/समय 02.00 पी0एम0

इस समय श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुय एक व्यक्ति का परिचय श्री नीरज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, जाति ब्राहम्ण, निवासी बहोतवास भोंदू, पुलिस

थाना जाटूसाना, तहसील कौसली, जिला रेवाडी (हरियाणा) परिवादी के रूप में करवाते हुये परिवादी श्री नीरज कुमार द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री नीरज कुमार को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी श्री नीरज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, जाति ब्राहम्ण, उम्र 33 साल, निवासी बहोतवास भोंदू, पुलिस थाना जाटूसाना, तहसील कौसली, जिला रेवाडी (हरियाणा) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री नीरज कुमार ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने दिनांक 07.09.2022 को आर्य समाज मन्दिर ट्रस्ट 74बी, खन्ना मार्केट, तीस हजारी दिल्ली–110054 से सुशीला पुत्री श्री रामनिवास निवासी शेरपुर, तहसील व थाना बहरोड, जिला अलवर से आपसी रजामंदी से शादी की थी। दिनांक 29.01.2023 को मैं मेरी पत्नी को लेने के लिये मेरे ससुराल शेरपुर गया था, तो मेरे ससुराल वालों ने मेरी पत्नी को कही बाहर भेज दिया और मुझे पुलिस बुलाकर बहरोड थाने में बन्द करवा दिया तथा मेरे ससुर रूनिवास यादव ने मेरे खिलाफ बहरोड थाने में मुकदमा नं0 72/2023 धारा 323, 341, 451, 354 का दर्ज करवा दिया। जिसकी तफ्तीश बहरोड थाने का हैड कानि0 श्री धन सिंह कर रहा है। धनसिंह हैड कानि0 नं0 27 ने मेरी बाईक नं0 एचआर 43–सी–0602 को बहरोड थाने में रख लिया तथा उक्त हैड कानि0 मेरी बाईक छोडने व मुकदमें को रफा दफा करने की एवज में 50000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री धन सिंह हैड कानि0 27 पुलिस थाना बहरोड को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा आपके विभाग से उसे रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी (अलवर) से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा दौराने पूछताछ परिवादी ने अपने व सुशीला यादव के मध्य दिनांक 07.09.2022 को हुई शादी से सम्बन्धित दस्तावेजों की एवं अपनी शादी के सम्बन्ध में धारा 9 हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत दायर, पीटीशन की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति तथा परिवादी श्री नीरज कुमार द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। दौराने पूछताछ परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर परिवादी श्री नीरज कुमार को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर रिश्वती मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि उसको श्री धनसिंह हैड कानि0 27 ने अपने साथ पैसे लेकर ही पुलिस थाना बहरोड पर आने के लिये कहा है और आज मेरे पास पैसे नही है तथा उसको थोडे–बहुत कुछ पैसे दिये बिना वह मेरे से ठीक से वार्तालाप नही करेगा क्योंकि वह मुझे फोन पर भी रिश्वत के पैसे लेकर आने के लिये धमका है। इसलिए मैं उसके पास रिश्वत मांग सत्यापन के लिये जाउंगा तो अपने साथ टोकन मनी (रिश्वत की अग्रिम राशि) के रूप में 5000 रू0 अपने साथ लेकर जाउंगा और उसको देउंगा तथा मुझे आज आवश्यक निजी कार्य से बावल जाना है। इसलिए कल दिनांक 14.02.2023 को उसे कस्बा बहरोड में लाकर कोई ए0सी0बी0 का आदमी डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दे, उस समय वह श्री धन सिंह हैड कानि0 27 से पुलिस थाना बहरोड में बात करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा देगा। जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 462 का परिवादी श्री नीरज कुमार से परिचय करवाया जाकर उक्त दोनों के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी श्री नीरज कुमार को हिदायत दी गई कि वह जब भी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के पास पुलिस थाना बहरोड पर जावे तो उससे पूर्व ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 से सम्पर्क कर डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु जावें, साथ ही श्री महेश कुमार कानि0 को हिदायत दी गई वह कल दिनांक 14.02.2023 को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बाताये गये स्थान पर पहुंचकर वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री नीरजकुमार द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाली 5000 रू0 की राशि के नोटों की पहचान हेतु अपने मोबाईल फोन में नोटों की फोटों लेकर अपने पास सुरक्षित रखे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी श्री नीरज कुमार को गोपनीयता की हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।

दिनांक 14.02.2023 को समय 09.30 ए0एम0 पर महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी परिवादी श्री नीरजकुमार से वार्ता हुई है और उसने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा बहरोड में बुलाया है। इस पर पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा होना तथा उक्त को खाली होना सुनिश्चित कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि वह परिवादी श्री नीरज कुमार से

सम्पर्क कर उसके द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर परिवादी से मिले तथा परिवादी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के समय संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाली 5000 रू0 की अग्रिम राशि के नोटों की पहचान हेतु अपने मोबाईल फोन में नोटों की फोटों लेकर अपने पास सुरक्षित रखे तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के पास पुलिस थाना बहरोड पर जाकर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का एवं संदिग्ध आरोपी की पहचान करने का प्रयास करे तथा बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आवे। श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही बजानिब बहरोड, जिला अलवर रवाना किया गया।

श्री महेश कुमार कानि0 462 ने समय 5.00 पी.एम. पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि वह समय करीब 12.00 पी0एम0 पर कस्बा बहरोड स्थित पुलिस थाना बहरोड के पास पहुंचा, जहॉ पर परिवादी श्री नीरजकुमार मौजूद मिला। परिवादी श्री नीरज कुमार ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27, पुलिस थाना बहरोड को 10 नोट 500–500 रू0 के कुल राशि 5000 रू0 रिश्वत की देने हेतु मन कानि0 को बताया, जिस पर मैंने परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली 5000 रू0 रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 10 नोटों की पहचान स्वरूप अपने मोबाईल में फोटो लेकर सुरक्षित किया, जिनके नम्बर 9KI 608201, 8QU 179318, 9PR 648847, 8DH 176114, 6DS 448803, 3DN 732644, 4ES 215792, 3FG 980133, 0SP 355756, 6UN 086367 हैं। इसके बाद मैंने अपने पास से ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर परिवादी श्री नीरजकुमार को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया और डिजिटल वाईस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर समय 12.08 पी0एम0 पर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसे परिवादी अपने साथ लेकर श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के पास पुलिस थाना बहरोड पर चला गया और में थाने के बाहर ही रूक गया था। समय करीब 45 मिनट बाद परिवादी श्री नीरजकुमार मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर मुझे दिया, जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी श्री नीरजकुमार ने मुझे बताया कि मैं पुलिस थाना बहरोड पर श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के पास गया तो वहा पर वह मुझे मौजूद मिला, जिससे मैंने मेरी मोटर साईकिल छोडने एवं मेरे खिलाफ पुलिस थाना बहरोड में दर्ज मुकदमें में मेरी मदद करने के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री धनसिंह हैड कानि0 27 ने मेरे से कहा कि मैंने तेरे को पचास हजार रू0 इसी बात के बताये है कि मैं मेरी तरफ से तेरी पुरी मदद करूंगा तथा तेरे साथ कोई भी मारपीट नही करूंगा तथा तू पैसे दे देगा, तब मैं तेरे को एक दिंन शाम को बुलाउगा और सुबह कोर्ट में पेश कर दूंगा। इस पर मैंने श्री धन सिंह हैड कानि0 27 से कहा कि साहब 50 हजार रू0 बहुत ज्यादा है मेरे पास 5 हजार रू0 की ही व्यवस्था हो पाई है। तब उसने मेरे से कहा कि इससे काम नही चलेगा। मेरे द्वारा उसके सामने पैसे की व्यवस्था नही होने की मजबूरी जाहिर करने पर उसने मेरे से रिश्वत के 5000 रू0 तो उसी समय प्राप्त कर लिये तथा 20000 रू0 रिश्वत के और प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया और 20 हजार रू0 देने के बाद ही मेरी फाईल को लिखना शुरू करने के लिए कहा है। मेरे व श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के बीच रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि आज उसको जरूरी कार्य से घर जाना है तथा उसके पास संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रू0 की व्यवस्था भी नही है तथा वह गॉव में जाकर रिश्वत की राशि 20 हजार रू0 की भी व्यवस्था करेगा। इसलिए वह आज अग्रिम कार्यवाही हेतु बहरोड से ब्यूरों कार्यालय अलवर नही चल सकता और वह दिनांक 15.02.2023 को रिश्वत राशि 20000 रू0 सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु समय करीब 10.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगा। इस पर मैं परिवादी को बहरोड ही छोडकर वहा से रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय में आ गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना, तो उक्त में रिश्वत मांग सम्बन्धी उक्त तथ्य रिकार्ड होना तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रीप्ट व सीडी तैयार करने की कार्यवाही परिवादी के ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में पृथक से की जावेगी। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 के मोबाईल में से उक्त 500–500 रू0 10 नोटों की पहचान स्वरूप ली गई फोटों का प्रिन्ट निकालकर कर संलग्न पत्रावली किया गया। अग्रिम कार्यवाही परिवादी के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने पर दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष की जावेगी।

दिनांक 15.02.2023 को समय 10.30 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री नीरज कुमार,एसीबी कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 14.02.2023 को समय करीब 12.00 पी0एम0 पर मैं आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 को कस्बा बहरोड में स्थित पुलिस थाना बहरोड के पास मौजूद मिला, जहा पर श्री महेश कुमार कानि0 को मैंने रिश्वत मांग सत्यापन के

समय संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27, पुलिस थाना बहरोड को 500–500 रू0 के 10 नोट कुल राशि 5000 रू0 रिश्वत की देने हेतु बताया, जिस पर आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 ने मेरे द्वारा संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली 5000 रू0 रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 10 नोटों की पहचान स्वरूप अपने मोबाईल में फोटो लेकर सुरक्षित किया था, जिनके नम्बर 6UN 086367, 0SP 355756, 3FG 980133, 4ES 215792, 3DN 732644, 6DS 448803, 8DH 176114, 9PR 648847, 8QU 179318, 9KT 608201 हैं। इसके बाद श्री महेश कुमार कानि0 ने अपने पास से ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर मेरे को ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया और डिजिटल वाईसे रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर समय 12.08 पी0एम0 पर मेरे को सुपुर्द किया, जिसे मैं अपने साथ लेकर श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के पास पुलिस थाना बहरोड पर गया और श्री महेश कुमार कानि0 थाने के बाहर ही रूक गया था। पुलिस थाना बहरोड पर मुझे श्री धन सिंह हैड कानि0 27 मौजूद मिला, जिससे मैंने मेरी मोटर साईकिल छोडने एवं मेरे खिलाफ पुलिस थाना बहरोड में दर्ज मुकदमें में मेरी मदद करने के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री धनसिंह हैड कानि0 27 ने मेरे से कहा कि मैंने तेरे को पचास हजार रू0 इसी बात के बताये है कि मैं मेरी तरफ से तेरी पुरी मदद करूंगा तथा तेरे साथ कोई भी मारपीट नही करूंगा तथा तू पैसे दे देगा, तब मैं तेरे को एक दिन शाम को बुलाउगा और सुबह कोर्ट में पेश कर दूंगा। इस पर मैंने श्री धन सिंह हैड कानि0 27 से कहा कि साहब 50 हजार रू0 बहुत ज्यादा है मेरे पास 5 हजार रू0 की ही व्यवस्था हो पाई है। तब उसने मेरे से कहा कि इससे काम नही चलेगा। मेरे द्वारा उसके सामने पैसे की व्यवस्था नही होने की मजबूरी जाहिर करने पर उसने मेरे से रिश्वत के 5000 रू0 तो उसी समय प्राप्त कर लिये तथा 20000 रू0 रिश्वत के और प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया और 20 हजार रू0 देने के बाद ही मेरी फाईल को लिखना शुरू करने के लिए कहा है। मेरी, श्री धन सिंह हैड कानि0 27 पुलिस थाना बहरोड से हुई सभी वार्तालाप को मैंने आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार द्वारा मुझे बहरोड में सुपुर्द किये गये डिलिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था तथा समय करीब 45 मिनट बाद मैं श्री महेश कुमार के पास आकर ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार को दे दिया था, जिसे श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था तथा उक्त तथ्यों के बारे में बताया था तथा श्री महेश कुमार को यह भी बताया था कि मेरे को जरूरी कार्य से घर जाना है तथा मेरे पास आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि बीस हजार रू0 की व्यवस्था भी नही है तथा गॉव में जाकर रिश्वत की राशि बीस हजार रू0 की भी व्यवस्था करनी तथा मैं दिनांक 15.02.2023 को रिश्वत राशि 20000 रू0 सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जाउंगा। उसके बाद मैं वही से मेरे गॉव चला गया था तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु आज मैं आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20000 रू0 अपने साथ लेकर आया हूँ। अतः परिवादी को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। तत्पश्चात 11.45 ए.एम. पर श्री महेश कुमार कानि0 462 के हमराह जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र, अलवर से तलब शुदा गवाह श्री चितरंजन शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्री रंजन मेहरा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री नीरज कुमार से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री नीरज कुमार द्वारा दिनांक 13.02.2023 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री नीरज कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा साथ ही दिनांक 14.02.2023 को परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रिश्वत में दिये गये 5000 रू0 की राशि के 500–500 रू0 के 10 नोट जिनकी पहचान स्वरूप श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन मन पुलिस निरीक्षक को उक्त 500–500 रू0 के नोट जिनके नम्बर 9KT 608201, 8QU 179318, 9PR 648847, 8DH 176114, 6DS 448803, 3DN 732644, 4ES 215792, 3FG 980133, 0SP 355756, 6UN 086367 हैं की फोटों का प्रिन्ट प्रस्तुत किया गया था। उक्त नोटों की फोटों के प्रिन्ट पर भी दोनों गवाहान एवं परिवादी ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

दिनांक 15.02.2023 को समय 12.00 पी0एम0 से 04.30 पी0एम0 तक मन पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री चितरंजन शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्री रंजन मेहरा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री नीरज कुमार की उपस्थिति में परिवादी श्री नीरज कुमार तथा आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27, पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी(अलवर) के मध्य दिनांक 14.02.2023 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री नीरज कुमार ने अपनी आवाज एवं आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27, पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी(अलवर) की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना

सुनिश्चित कर कमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "ए–1", मार्क "ए–2" एवं मार्क "ए–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री नीरज कुमार के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 15.02.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को मालखाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री नीरज कुमार ने बताया कि मैंने आज गोपनीय रूप से आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के पुलिस थाना बहरोड पर मौजूद होने के बारे जानकारी करवाई तो ज्ञात हुआ है कि श्री धन सिंह हैड कानि0 27 आज दिनभर से ही थाने पर मौजूद नही है तथा कही बाहर गया हुआ है और मैं आज उसे रिश्वत की राशि देने के लिये थाने पर जाउंगा तो उसके थाने पर मिलने की संभावना नही है। इसलिए वह जब भी पुलिस थाना बहरोड पर मौजूद रहेगा, तो मैं इसकी जानकारी करके अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वती राशि 20 हजार रू0 सहित आपके पास ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। चूंकि परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही होने से परिवादी श्री नीरज कुमार को आरोपी के थाने पर मौजूद होने की जानकारी ज्ञात होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब रिश्वत राशि 20 हजार रू0 सहित ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत कर समय 04.50 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा साथ ही दोनों स्वतन्त्र गवाहान को जरिये मोबाईल सूचित करने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से मसकन के लिये रवाना किया गया।

दिनांक 16.02.2023 को समय 12.50 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री नीरज कुमार ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 पुलिस थाना बहरोड से उसकी मोबाईल पर वार्ता हुई है और आरोपी हैड कानि0 ने रिश्वत की राशि लेकर मुझे बहरोड बुलाया है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नीरज कुमार को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा साथ ही दोनों स्वतन्त्र गवाहान को एवं ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय अलवर से श्री रामजीत कानि0 206 को अविलम्ब ए0सी0बी0 चौकी अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित होने हेतु अवगत करवाया गया तथा तलबशुदा दोनो गवाहान एवं उक्त कानि. ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये, जिनको कार्यालय में बैठाया गया।

दिनांक 16.02.2023 को समय 03.20 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पाबन्दशुदा परिवादी श्री नीरज कुमार ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा, आरोपी हैड कानि0 को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 20 हजार रू0 अपने साथ लेकर आना बताया। समय 03.30 पी0एम0 पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नीरजकुमार को संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27, पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी(अलवर) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री नीरजकुमार ने अपने पास से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/– रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किये गये। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 20,000/– रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री नीरजकुमार की जामा तलाशी गवाह श्री रंजन मेहरा से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 20,000/– रूपये को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी श्री नीरजकुमार के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में सुरक्षित रखवाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री नीरजकुमार एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री नीरजकुमार को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 14.02.2023 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री नीरज कुमार को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर दिनांक 16.02.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.15 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री चितरंजन शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री रंजन मेहरा, वरिष्ठ सहायक मय परिवादी श्री नीरज कुमार मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री, साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, रामजीत कानि0 206, श्री हरीश चन्द कानि0 503 एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों में बैठाकर हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब बहरोड के लिये रवाना हुआ तथा श्रीमति सुनिता महिला कानि0 201 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडा गया।

दिनांक 16.02.2023 को समय 05.50 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा जयपुर–दिल्ली हाईवे पर कस्बा बहरोड में स्थित पुलिया के नजदीक पहुचा। जहा पर संदिग्ध आरोपी के मिलने की लोकेशन जानने के लिये मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नीरज कुमार के मोबाईल नं0 9996611870 से संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27, पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी के मोबाईल नं0 7014459796 पर फोन करवाकर परिवादी श्री नीरज कुमार की संदिग्ध आरोपी श्री धनसिंह हैड कानि0 27 से समय 05.55 पी0एम0 पर वार्ता करवाई गई, तो आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 ने थाने पर ही होना तथा रिश्वत राशि लेने के लिये पुलिया के पास स्थित अशोका टी स्टाल पर आने के लिये कहा गया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री नीरज कुमार का टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 के रिश्वत राशि लेने हेतु आने के इन्तजार में अशोका टी स्टाल पर भेजा गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के वाहनों में ही बैठकर परिवादी पर निगरानी रखते हुये पुलिया के नीचे अशोका टी स्टाल के आस–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। परिवादी बहरोड पुलिया के पास स्थित अशोक टी स्टाल पर खडा हो गया तथा समय 06.04 पी0एम0 पर पुलिस थाना बहरोड की तरफ से एक पुलिस की बोलेरो गाडी आई और पुलिया के पास रूकी, जिसमें ड्राईवर व एक पुलिस कर्मी वर्दी में थे। परिवादी पुलिस की उक्त बोलेरों गाडी के पास गया और ड्राईवर के बगल वाली आगे की सीट पर बैठे वर्दीधारी पुलिस कर्मी से वार्ता की तथा उक्त गाडी के अन्दर बैठ गया। तत्पश्चात उक्त गाडी पुलिया के पास से रवाना होकर नीमराणा की तरफ सर्विस रोड पर रवाना होकर जाने लगी तो मन पुलिस निरीक्षक भी मय हमराहीयान के उक्त पुलिस वाहन पर निगरानी रखता हुआ, अपनी पहचान छुपाते हुये उसके पीछे–पीछे दोनों वाहनों से रवाना हुआ। समय 06.08 पी0एम0 पर कस्बा बहरोड में जयपुर–दिल्ली हाईवे पर नीमराणा की तरफ स्थित स्टार बुकस काफी ए–टाटा एलाईन्स के पास पहुंच कर सर्विस रोड के पास स्थित खाली जगह में उक्त पुलिस वाहन रूका तथा परिवादी व एक वर्दीधारी पुलिस कर्मी उक्त वाहन से उतरकर साईड में एक निर्माणाधीन मकान के पीछे की तरफ चले गये तथा उक्त वाहन का वर्दीधारी चालक उतरकर सर्विस रोड पर आगे की तरफ चला गया। मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं हमराही जाब्ता के दोनों वाहनों में बैठे रहकर मौकानुसार अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी एवं उक्त वर्दीधारी पुलिस कर्मी पर निगरानी रखते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 06.11. पी.एम. पर परिवादी श्री नीरज कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश ने कस्बा बहरोड मे दिल्ली– जयपुर हाईवे रोड पर नीमराना की तरफ सर्विस लाईन रोड पर स्थित स्टार बुकस कॉफी एटाटा एलाइन्स के पास खुले स्थान से एक पुलिस वर्दी पहने हुये व्यक्ति के साथ सर्विस लाईन रोड के पास खडी पुलिस की सरकारी बोलेरो कार (पुलिस चेतक) की तरफ आते हुये अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वती राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुँचा। जहॉ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तत्पश्चात परिवादी ने अपने से कुछ दूरी पर खडी सरकारी बोलेरो कार (पुलिस चेतक) की तरफ ईशारा

करके बताया कि उक्त कार मे जो आगे की सीट कर बांयी साईड मे वर्दी पहने बैठा हुआ है, वही धनसिंह हैड साहब पुलिस थाना बहरोड है। जिन्होने अभी अभी मेरे से एक निर्माणाधीन मकान के पीछे ले जाकर अपनी मांग अनुसार 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर अपने बांये हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब मे रखे है तथा वहां से मेरे साथ आकर उक्त पुलिस वाहन मे जाकर बैठ गया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पुलिस बोलेरो नं. आर. जे. 40 यू. ए. 1640 के पास जाकर उसमे आगे की सीट पर बांयी साईड मे हैड कानि. की पुलिस वर्दी पहने हुये बैठे एक व्यक्ति जिसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर धनसिंह लिखा हुआ है, को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर उसको अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसके चेहरे की हवाईयां उड गयी और वह कुछ नही बोला। उस वक्त गाडी मे अन्य कोई कार्मिक या ड्राईवर नही था। इस पर उक्त व्यक्ति को तस्सली देकर उससे उसका पुनः परिचय पूछा तो उसने अपना नाम–पता श्री धनसिंह पुत्र स्व. श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, उम्र 53 साल, निवासी चन्दपुरा, तहसील एवं थाना कोटकासीम, जिला अलवर हाल हैड कानि. 27 पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी होना बताया। जिससे परिवादी श्री नीरज कुमार से ग्रहण की गई बीस हजार रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उसने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब मे रखी हुई होना बताया। मौका घटना स्थल दिल्ली– जयपुर हाईवे रोड होने तथा वहा पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कोई उपयुक्त स्थान नही होने से, श्री धनसिंह हैड कानि. को उक्त पुलिस वाहन से उतारा तब उसके शरीर पर पहनी हुई पुलिस वर्दी की पेन्ट मे लगे बैल्ट पर लटके होलेस्टर मे रखी हुई 9 एम.एम. पिस्टल को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे लिया। इसी दौरान पुलिस कानि. की वर्दी पहने हुए जिसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर विनोद कुमार लिखा हुआ एक व्यक्ति उक्त पुलिस वाहन के पास आया। जिसको मन्पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रोहिताश कुमार, जाति मेघवाल, उम्र 39 साल, निवासी करवास, पुलिस थाना पनियाला, जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि.चालक नं. 1076 पुलिस लाईन भिवाडी हाल वाहन नं. आर. जे. 40 यू.ए. 1640 चालक पुलिस हाईवे पैट्रोलिंग नं. 04 होना बताया। उक्त श्री धनसिंह के दाहिने हाथ को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 एवं बांये हाथ को श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि.50 से पकडवाकर हमराह लेकर आये एक प्राईवेट वाहन मे यथावत स्थिति मे बैठाकर तथा दोनो गवाहान को भी उक्त वाहन मे बैठाकर दूसरे वाहन मे परिवादी, अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों को बैठाकर तथा उक्त पुलिस वाहन मय कानि. ड्राईवर को अपने हमराह लेकर घटना स्थल से रवाना होकर वृताधिकारी कार्यालय बहरोड मे लेकर आया। जहां पर आरोपी के दोनो हाथो को पकडे हुये स्थिति मे ही वाहन से उतार कर उसे एवं परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो के वृताधिकारी कक्ष मे बैठ कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। उपरोक्त हाजरीन के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त श्री धनसिंह को परिवादी से दिनांक 14.02.2023 को मांगी गई 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि एवं तत्समय ग्रहण की गई 05 हजार रूपये की रिश्वत राशि एवं अभी ग्रहण की गई बीस हजार रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उक्त श्री धनसिंह ने बताया कि उक्त नीरज कुमार के विरूद्व पुलिस थाना बहरोड मे प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 72/2023 अन्तर्गत धारा 323, 341, 354, 451 भादस. मे दर्ज है, जिसका वर्तमान मे मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 14.02.2023 को यह नीरज मेरे पास थाने पर आया और उसके विरूद्व दर्ज उक्त मुकदमे मे श्रीमती सुशीला के अन्तर्गत धारा 164 दप्रसं. के तहत बयान नही करवाने के लिये मेरे से कहा था। इस पर मैने इसे कहा था कि भाई प्रक्रियानुसार मै तो 164 दप्रसं. के तहत बयान कराऊंगा, उसके बाद तेरी जमानत ले लूंगा। मैने इससे उस वक्त कोई पैसे नही मांगे थे, परन्तु इसने मुझे उसी समय 05 हजार रूपये, जिनमे 500–500 रूपये के दस नोट दिये जिनको मैने अपने दाहिने हाथ से लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब मे रख लिये थे। उसके बाद यह मेरे पास से चला गया था। उसके बाद आज दिनांक 16.02.2023 को अभी शाम के समय इसका मेरे पास फोन आया और इसने मुझे बहरोड कस्बे मे दिल्ली–जयपुर रोड पुलिया के नीचे मिलने को कहा था। मेरी डयूटी हाईवे पैट्रोलिंग नम्बर 4 पर थी, तो मै इसके पास हाईवे पैट्रोलिंग की पुलिस बोलेरो जिस पर श्री विनोद कुमार कानि. ड्राईवर नं. 1076 था, को मय उक्त वाहन के अपने साथ लेकर बहरोड मे दिल्ली –जयपुर रोड पर स्थित पुलिया के नीचे आया और मैने इसको फोन करके अपनी गाडी के पास बुलाकर इसे अपने साथ उक्त पुलिस वाहन मे बैठा कर इसे मै अपने साथ लेकर नीमराना की तरफ गया। जहां पर कुछ दूरी पर मैने उक्त पुलिस वाहन को रूकवाकर उसमे से उतर कर तथा अपने साथ इसे लेकर साईड मे एक निर्माणाधीन मकान के पीछे लेकर गया तो वहां पर इसने मुझे कहा कि मेरा कोई जमानती नही है आप श्रीमती सुशीला के 164 दप्रसं. के बयान मत कराओं। इस पर मैने कहा कि बयान तो करवाने पडेगे। इस पर इसने मुझे कुछ रूपये दिये जिनको मैने अपने बांये हाथ मे लेकर उन्हे बिना गिनने ही अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब मे रख लिये। उसके बाद हम दोनो वहां से मेरे उक्त पुलिस वाहन के पास आये। मै उक्त वाहन मे बैठ गया, उस समय वाहन का ड्राईवर वाहन के दूसरी साईड मे गया हुआ था और यह वाहन से कुछ दूरी पर ही रूक गया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री धनसिंह से पूछा कि जब आपने इससे रिश्वत की राशि नही मांगी तो इससे दिनांक 14.02.2023 को 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग करते हुये उसी समय 05 हजार रूपये लेने एवं आज दिनांक 16.02.2023 को 20 हजार रूपये क्यो व किस बात के लिये है। इस पर वह कुछ नही बोला और हाथ जोड कर गिडगडाने लग गया और कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई। इस पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नीरज

कुमार ने स्वतः ही बताया कि साहब यह झूंठ बोल रहा है। मैने श्रीमती सुशीला पुत्री श्री रामनिवास यादव, निवासी शेरपुर, तहसील बहरोड, जिला अलवर से लव मैरीज की है। दिनांक 29.01.2023 को मै मेरी पत्नि श्रीमती सुशीला को उसके पिताजी के घर शेरपुर से लाने हेतु गया, तब उसके पिताजी ने फोन करके इन श्री धनसिंह हैड साहब को वहां पर बुला लिया। जहां पर इन्होने मेरे साथ मारपीट की और मुझे अपने थाने के वाहन मे बैठाकर बहरोड थाने पर लेकर आ गये। मेरे ससुर श्री रामनिवास यादव ने मेरे खिलाफ बहरोड थाने मे एक मुकदमा दर्ज करवाया है। जिसकी जाँच उक्त श्री धनसिंह हैड साहब द्वारा की जा रही है। श्री धनसिंह हैड साहब ने मेरे ससुर से उनके घर से मेरी मोटर साईकिल को मंगवाकर जब्त की थी। श्री धनसिंह हैड साहब मेरे से मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे मे मेरी मदद करने, मेरी मोटर साईकिल को छोडने एवं मेरे साथ मारपीट नही करने की एवज मे मेरे से 50 हजार रूपये अपने स्वंय के लिये रिश्वत की मांग कर मुझे परेशान कर रहे थे। इस पर मैने दिनांक 13.02.2023 को आपके कार्यालय मे आकर रिपोर्ट दी थी। जिसके क्रम मे मै दिनांक 14.02.2023 को आपके कार्यालय का टेप रिकॉर्डर लेकर इनके पास गया तो उन्होने मेरे से मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे मे मेरी मदद करने, मेरे साथ मारपीट नेही करने एवं मेरी मोटर साईकिल को छोडने की एवज मे मेरे से 50 हजार रूपये अपने स्वंय के लिये रिश्वत की मांग कर उसी दिन इन्होने मेरे से 05 हजार रूपये मांग कर लिये थे, जिनमे 500–500 रूपये के दस नोट थे। उसी कार्यवाही के क्रम में आज इनके द्वारा बार बार फोन करके मुझे रिश्वत राशि लेकर बहरोड बुला रहे थे। आज मै आपके साथ बहरोड आ रहा था, तब रास्ते मे इनकी मेरे माबाईल नं. 9996665680 पर समय 5.55 पी.एम. पर व्हाटस–ऐप वॉइस कॉल आयी थी। बहरोड कस्बा स्थित दिल्ली– जयपुर रोड पुलिया के नीचे पहुंचने पर मैने अपने मोबाईल नं. 9996611870 से धनसिंह हैड साहब के मोबाईल नं. 7014459796 पर फोन करके इनको अपनी लॉकेशन के बारे मे बताया, तो उसके कुछ देर बाद ये उक्त पुलिस वाहन लेकर मय ड्राईवर के मेरे पास आये और मुझे अपनी उक्त पुलिस वाहन मे बैठाकर अपने साथ लेकर नीमराना की तरफ लेकर गये और अपने वाहन को रोक कर मुझे अपने साथ लेकर एक निर्माणाधिन मकान के पीछे लेकर गये। जहां पर इन्होने मेरे से कहा कि पैसे लेकर आया है तो दे। इस पर मैने अपने पास रखे हुये पाऊडर लगे 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20 हजार रूपये बिकाल कर इनको दिये तो इन्होने अपने बांये हाथ मे लेकर नोटो को बिना गिने ही अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी साईड की जेब मे रख लिये। तब मैने इनको कहा था कि अब आपको 15 हजार रूपये ओर दे दूंगा। इसके बाद हम दोनो वहा से आ गये और ये अपने पुलिस वाहन मे जाकर बैठ गये तथा मै इनसे कुछ दूरी पर रूक गया जहां से मैने आपको ईशारा कर दिया। इस पर श्री विनोद कुमार कानि. चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि आज मेरी डयूटी हाईवे पैट्रोलिंग नं. 4 पर पुलिस लाईन भिवाडी से लगाई गई थी, जिस पर मै उक्त पुलिस वाहन को लेकर बहरोड थाने पर आया। जहाँ से श्री धनसिंह हैड कानि. पुलिस थाना बहरोड मुझे अपने साथ वाहन सहित लेकर हाईवे पर पैट्रोलिंग हेतु सुबह रवाना हो गये थे।आज शाम को करीबन 6 बजे के लगभग श्री धनसिंह हैड कानि. ने मुझे वाहन को पुलिया के नीचे लेकर चलने को कहा। जिस पर मै वाहन को पुलिया के नीचे लेकर आया। वहां पर इस लडके को देखकर श्री धनसिंह ने वाहन को रूकवाया और उसे वाहन मे लगी बीच की सीट पर बैठा लिया। उसके बाद मुझे नीमराना की तरफ चलने को कहा। करीबन एक किलोमीटर आगे चलने पर श्री धनसिंह जी ने मेरे से वाहन को रूकवाया। जहां पर श्री धनसिंह जी हैड साहब उक्त लडके को अपने साथ लेकर सर्विस रोड से बांयी साईड मे लेकर चले गये तथा मे उसके विपरीत दिशा मे चला गया था। मैने कुछ देर बाद वापस अपने वाहन के पास आया तब तक आप लोगो ने श्री धनसिंह हैड साहब को पकड लिया था। इन दोनो के बीच पैसो के बारे मे कोई बात मैने नही सुनी। कोई राशि का लेन देन हुआ हो तो उसके बारे मे मुझे कोई जानकारी नही है और ना ही मैने लेन देन को देखा है। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त कार्यालय मे रखे हुये पीने के पानी मे से वहां पर रखी हुई एक साफ बोतल मे पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ काँच के गिलास निकालकर उन्हे हाजरीन के समक्ष उक्त साफ पानी एवं साबून से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री धनसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा –आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री धनसिंह के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री धनसिंह से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो उसने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब मे रखी हुई होना बताया। इस पर गवाह श्री चितरंजन से श्री धनसिंह के शरीर पर पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब की तलाशी लिवाई गई

तो उक्त गवाह ने पेन्ट की उक्त जेब से 500–500 रूपये के नोट मे मुडे हुये कुछ रूपये निकाले। जिनको उक्त गवाह से गिनवाये गये तो उसने उक्त नोटो मे 500–500 रूपये के 40 नोट कुल बीस हजार रूपये होना बताया। इस पर दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। बरामदशुदा नोटो का विवरण फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई मे अंकित कर नोटो के नम्बरो का पुनः फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया जाने पर नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहु होना पाया गया। उक्त बरामदशुदा बीस हजार रूपये को कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर मार्क TM अंकित कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री धनसिंह के शरीर पर पहनी हुई वर्दी की पेन्ट को सःसम्मान उतरवाकर मंगवाया गया लोवर पहनाया गया। उतरवाई गई वर्दी की पेन्ट की तलाशी गवाह श्री रंजन मेहरा से लिवाई गई तो उसकी दाहिनी जेब मे एक एन्ड्रोयड मोबाईल फोन ओपो ए 55 कम्पनी, जिसका मॉडल नं. CPH 2325, IMEI No 861175056760893 / 861175056760885 होना तथा इसमे दो सीम मोबाईल नं. 7014459796 जीओ, 8058519915 एयरटेल की लगी हुई है। उक्त मोबाईल फोन मे इन्सटोल व्हाटसऐप का अवलोकन किया गया तो उसमे उक्त मोबाईल नं. 7014459796 से परिवादी को व्हाटसएप कॉल होना एवं चैट डिलिट की हुई व परिवादी से संबंधित फोटो पाई गई। अर्थात उक्त मोबाईल फोन का उपयोग दौराने ट्रेप किया जाने के कारण उक्त मोबाईल फोन को वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ काँच का गिलास निकालकर उसे साफ पानी एवं साबून से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री धनसिंह के शरीर से उतरवाई गई वर्दी पेन्ट की बांयी साईड की जेब को उल्टवाया जाकर उक्त जेब को उक्त घोल के गिलास मे डूबोकर उसका धोवन करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिससे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर उक्त थैली को सील मोहर कर थैली पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क च अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना बहरोड मे दर्ज प्रकरण सं. 72/2023 की मूल अनुसंधान पत्रावली के बारे मे उक्त आरोपी श्री धनसिंह हैड कानि. से पूछा गया तो उसने पुलिस थाना बहरोड मे अपने कार्यालय कक्ष मे होना बताई। जिसकी अलग से जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।

परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार की जावेगी। परिवादी एवं आरोपी श्री धनसिंह को अलग – अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया नही होने एवं कोई फीस इत्यादि बकाया नही होने बाबत बताया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया तथा परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना बहरोड मे दर्ज प्रकरण सं. 72/2023 अन्तर्गत धारा 323, 341, 354, 451 भादसं. की पत्रावली एवं इस्तागासा नं. 14/2023 अन्तर्गत धारा 151 जा.फौ. की सत्यापित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

परिवादी श्री नीरज कुमार की लिखित रिपोर्ट पर की गई ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री धनसिंह पुत्र स्व. श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, उम्र 53 साल, निवासी चन्दपुरा, तहसील एवं थाना कोटकासीम, जिला अलवर हाल् हैड कानि. 87 पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपने पदीय कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर परिवादी श्री नीरज कुमार से उसके विरूद्व पुलिस थाना बहरोड मे दर्ज मुकदमा नं. 72/2023 अन्तर्गत धारा 323, 341,354,451 भादसं. मे परिवादी श्री नीरज कुमार की मदद करने एवं उक्त प्रकरण मे जब्तशुदा परिवादी की मोटर साईकिल को छोडने एवं मारपीट नही करने की एवज मे परिवादी नीरज कुमार से दिनांक 14.02.2023 को रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान अपने स्वंय के लिये 50 हजार रू. रिश्वत की मांग कर तत्समय 05 हजार रूपये बतौर रिश्वत मांग कर ग्रहण करना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे आज दिनांक 16.02.2023 को 20 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर ग्रहण करना एवं उक्त रिश्वती राशि आरोपी श्री धनसिंह की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी साईड की जेब से बरामद होने से इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया कारित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी को इनके द्वारा किये गये अपराध के बारे मे अगाह किया जाकर कानूनी प्रावद्यानो व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करते हुए उक्त आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर आरोपी श्री धनसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रंजन मेहरा से लिवाई गई तो आरोपित के शरीर पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट की ऊपरी

दाहिनी जेब से 500–500 रूपये के 10 नोट एक साथ मुडे हुये पाये गये। जिनके बारे मे पूछने पर उक्त आरोपी ने बताया कि यह राशि वही है, जो मैने दिनांक 14.02.2023 को उक्त नीरज कुमार से ली थी। इस पर परिवादी श्री नीरज कुमार से पूछा तो उसने बताया मैने दिनांक 14.02.2023 को उक्त धनसिंह के मांगने पर 05 हजार रूपये दिये थे, जिनमे 500–500 रूपये के 10 नोट थे। इस पर उक्त बरामदशुदा पांच हजार रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान रनिंग नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहु होना पाया गया।

दिनांक 14.02.2023 को मौंग सत्यापन के दौरान उक्त आरोपी द्वारा ग्रहण की गई पांच हजार रूपये की बरामदशुदा रिश्वत राशि का विवरण अंकित कर उक्त बरामदशुदा दस हजार रूपये को कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर मार्क TM-1 अंकित कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया।

उक्त गवाह से आरोपी के शरीर पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट की बांयी जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने उक्त जेब से 2700 रूपये एक साथ मुडे हुये पाये गये। जिनके बारे मे पूछने पर उक्त आरोपी ने बताया कि यह राशि मेरी स्वंय की है, जो मै अपने वेतन की बचत राशि मे से अपने खर्चे–पानी के लिये लेकर आया हूँ, क्योकि मै थाने पर ही अपने परिवार के बिना निवास करता हूँ। आरोपी द्वारा उक्त राशि के बारे मे दिया गया जवाब सन्तोषप्रद होने से उक्त राशि को जब्त नही किया जाकर आरोपी के बतायेनुसार आरोपी एवं दोनो गवाहान के समक्ष तलबशुदा श्री जयपाल ,सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बहरोड को उक्त राशि एवं आरोपी के कब्जे से बरामदशुदा 9 एम.एम. पिस्टल मय 05 जिन्दा कारतुस के जरिये प्राप्ति रसीद सुपुर्द किये गये।

तत्पश्चात दिनांक 17.02.2023 को समय 01.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री धनसिंह हैड कानि. नं. 27, ट्रेप पार्टी सदस्यो, जब्तशुदा रिश्वत राशि, धोवन के सिल्डबंद सैम्पलो, पेन्ट पैकिट, इत्यादि सहित आवश्यक सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स को हमराह लेकर गये वाहनो से वृताधिकारी कार्यालय बहरोड से रवाना होकर समय 02.30 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी अलवर पहुंचकर गिरफ्तारशुदा आरोपी को ए0सी0बी0 जाब्ता की निगरानी में बैठाया जाकर ट्रेप बॉक्स को कार्यालय में रखवाया तथा जब्त/सिल्डशुदा आर्टिकल्स को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया एवं दोनों गवाहान एवं परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि0 27 का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात में बन्द करवाया गया।

तत्पश्चात समय 04.00 ए0एम0 पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 16.02.2023 को रिश्वत लेन–देन के क्रम में परिवादी श्री नीरज कुमार एवं आरोपी श्री धन सिंह हैड कानि. के मध्य हुई रूबरू रिकार्डशुदा वार्ताओं की प्रक्रियानुसार रिकार्डशुदा वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी श्री नीरज कुमार द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री धन सिंह सिंह हैड कानि. की आवाज मे वार्तालाप होने की पहचान की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को तीन खाली नई सी.डी. मे डाऊन लोड करवाकर सी.डी. तैयार करवाई गई। जिनमे से दो सी.डी. मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया तथा मार्क "बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे मूल एस.डी. कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे परिवादी व आरोपी धन सिंह हैड कानि. के मध्य दिनांक 14.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताऐं तथा फोल्डर नं0 2 में दिनांक 16.02.2023 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही समय 06.00 ए0एम0 पर उक्त कार्यवाही में उपयोग ली गई ब्राशसील का नमूना फर्द पर अंकित किया जाकर उक्त ब्राश सील को रूबरू मौतबिरान तुडवाकर नष्ट किया गया। जिसकी फर्द नष्टीकरण नमूना ब्राशसील पृथक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद उपरोक्त कार्यवाही में जब्त/सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स एवं रिश्वती राशि को श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. 50 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाकर बाद सम्पन्न कार्यवाही के परिवादी एवं दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर समय 06.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री धनसिंह पुत्र स्व. श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, उम्र 53 साल, निवासी चन्दपुरा, तहसील एवं थाना कोटकासीम, जिला अलवर हाल हैड कानि. 27 पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये

अपने पदीय कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर परिवादी श्री नीरज कुमार से उसके विरूद्व पुलिस थाना बहरोड मे दर्ज मुकदमा नं. 72/2023 अन्तर्गत धारा 323, 341,354,451 भादसं. मे परिवादी श्री नीरज कुमार की मदद करने एवं उक्त प्रकरण मे जब्तशुदा परिवादी की मोटर साईकिल को छोडने एवं मारपीट नही करने की एवज मे परिवादी नीरज कुमार से दिनांक 14.02.2023 को रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान अपने स्वंय के लिये 50 हजार रू. रिश्वत की मांग कर तत्समय 05 हजार रूपये बतौर रिश्वत मांग कर ग्रहण करना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे आज दिनांक 16.02.2023 को 20 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर ग्रहण करना एवं उक्त रिश्वती राशि 20 हजार रूपये आरोपी श्री धनसिंह की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी साईड की जेब से एवं दिनांक 14.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से प्राप्त की गई 05 हजार रूपये की रिश्वत राशि आरोपी के बदन पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट की ऊपरी दाहिनी जेब से बरामद होने से इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया कारित होना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री धनसिंह पुत्र स्व. श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, उम्र 53 साल, निवासी चन्दपुरा, तहसील एवं थाना कोटकासीम, जिला अलवर हाल हैड कानि. 27 पुलिस थाना बहरोड, जिला भिवाडी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धनसिंह, हैड कानि. नम्बर 27, पुलिस थाना बहरोड, पुलिस जिला भिवाड़ी, (अलवर) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 42/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 329-32 दिनांक 17.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला भिवाड़ी, अलवर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

17.2.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।